ढ- विविध स्थानों पर अन्य संस्थाओं के माध्यम से चलने वाले सेवा कार्यो एवं कार्य में लगे व्यक्ति और संस्थाओं से समन्व्य स्थापित करना ।

प- उर्पयुक्त सेवा कार्यो के संचालन हेतु देश-विदेश से धन एकत्रित करना और उसका समुचित ढंग से विनियोग करना ।

फ- ऐसे समाज सेवा के सभी प्रकार के कार्य करना जिससे राष्ट्रीय एकता व सामाजिक समरसता पैदा हो । यह न्यास उर्पयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति बिना किसी जाति, पंथ, भाषा, क्षेत्र, लिंग आदि बिना भेदभाव के केवल जन कल्याण और मानव समाज की सेवा निःस्वार्थ भाव से करेगा ।

5- न्यास के धन का विनियोग -

क- न्यास के धन का विनियोग आयकर विधान की धारा ।।(5) व अन्य सम्बन्धित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा ।

ख- उर्पयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना एवं व्यय करना, सहायता लेना व देना ब्याज सहित व ब्याज रहित ऋण लेना-देना । जायदाद खरीदना व बेचना, निर्माण करना, रहन रखना, रखवाना, बैंक व्यवहार करना एवं अन्य जो भी आवश्यक कार्य हों उन्हें करना ।

ग- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास की किसी भी चल व अचल सम्पत्ति का विक्रय, प्रबन्ध, हस्तान्तरण, विनिमय बंधक, दृष्टि बंधक, पटटे, गिरवी या किसी भी भांति निपटाना या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग में लाना ।

घ- न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से दान, क्रय, विनिमय, पटटा, किराये पर या अन्य किसी प्रकार से भूखण्ड, भवन या कोई चल या अचल सम्पत्ति प्राप्त करना ।

6- प्रन्यासी मण्डल -

क- न्यास का एक स्थायी प्रन्यासी मण्डल होगा, प्रन्यासियों में 19 (उन्नीस) स्थायी प्रन्यासी होंगे । इनकी नियुक्ति पंजीयन के पश्चात मेरे द्वारा की जायेगी । इन्हीं स्थायी प्रन्यासियों में ही पदाधिकारी होंगे आवश्यकता पड़ने पर अस्थायी प्रन्यासियों की नियुक्ति की जा सकेगी । इस प्रकार के अस्थायी प्रन्यासियों की संख्या अनिश्चित होगी । ऐसे प्रन्यासियों का कार्यकाल नियुक्ति के दिनांक से तीन वर्ष का होगा किन्तु वे पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे ।

--- 4

आशीष